

**राजस्थान विधान सभा**

**पंचम सत्र**

**कार्य-सूची**

**शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2015**

**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

**2. उपाध्यक्ष का निर्वाचन**

1. श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-156) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी:-

"कि श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

श्री रामेश्वर लाल झूडी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-151) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

2. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-128) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"कि श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-133) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

3. श्री राजेन्द्र राठौड, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-141) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"कि श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-53) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

4. श्री कालूलाल गुर्जर, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-28) निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

"कि श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-152) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाय।"

श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या-27) उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

### 3. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी:-

1. श्री पदमसिंह राठौड - पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा
2. श्री रविशंकर याज्ञिक - पूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा

### 4. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

#### अधिसूचनाएं

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- अधिसूचना संख्या एफ.8(104)वित्त/आब/2011 दिनांक 27.5..2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

2- अधिसूचना संख्या एफ.4(1)वित्त/आब/2011 दिनांक 27.8..2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

2- श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- अधिसूचना संख्या एफ4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2014/273 दिनांक 5.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

2- अधिसूचना संख्या एफ4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2014/480 दिनांक 6.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

3- अधिसूचना संख्या एफ4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2014/537 दिनांक 5.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

4- अधिसूचना संख्या एफ4(21)रानिआ/नियम/विधि/पंरा/2008/457 दिनांक 1.7.2015 जिसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है।

5- अधिसूचना संख्या एफ4(1)पर्यटन/नियम/विधि/पंरा/2015/486 दिनांक 10.7.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (पर्यटन इकाईयों के लिए पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि का आवंटन, भूमि के उपयोग का परिवर्तन और नियमितिकरण) नियम, 2015 विरचित किये गये हैं।

3- श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री अधिसूचना संख्या आरएफसी/एफ.पीए-23(8) दिनांक 10.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम स्टॉफ रेग्यूलेशन 1958 के रेग्यूलेशन संख्या 104(1) एवं 104(2) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।

4- श्री राजकुमार रिणवा, पर्यावरण राज्य मंत्री निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- अधिसूचना संख्या जीएसआर 21 दिनांक 6.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान एयर (प्रीवेंशन एण्ड कण्ट्रोल ऑफ पाल्यूशन) रूल्स, 1983 में संशोधन किया गया है।

2- अधिसूचना संख्या जीएसआर 22 दिनांक 5.6.2015 जिसके द्वारा राजस्थान वॉटर (प्रीवेंशन एण्ड कण्ट्रोल ऑफ पाल्यूशन) रूल्स, 1975 में संशोधन किया गया है।

## 5. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2015-2016 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे:-

1. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 13वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 57वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 58वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.6, 2.3.1, वित्त विभाग तथा अनुच्छेद संख्या 2.4.9 वित्त, पेंशन एवं सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 59वां प्रतिवेदन।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.4.3, माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 60वां प्रतिवेदन।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.5 एवं 3.4.6 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 61वां प्रतिवेदन।
6. जनलेखा समिति, 2014-15 (चौदहवीं विधान सभा) के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2015-16 का 62वां प्रतिवेदन।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.4.1 पर्यावरण विभाग, अनुच्छेद संख्या 3.1.2 एवं वर्ष 2012-13 का अनुच्छेद संख्या 2.1.2 तथा 2.4.6 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 63वां प्रतिवेदन।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.1, 3.1.1 एवं 3.3.2 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 64वां प्रतिवेदन।
9. जनलेखा समिति, 2003-04 (ग्यारहवीं विधान सभा) के 210वें प्रतिवेदन में देवस्थान विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 65वां प्रतिवेदन।
10. जनलेखा समिति, 2012-13 (तेरहवीं विधान सभा) के 180वें प्रतिवेदन में आबकारी विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2015-16 का 66वां प्रतिवेदन।
11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 के अनुच्छेद संख्या 2.3 उद्योग विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2015-16 का 67वां प्रतिवेदन।

(II) श्री बनवारी लाल सिंघल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-2016 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे:-

12. राजस्व, देवस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, कार्मिक, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना), गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, अल्पसंख्यक मामलात तथा आयोजना विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का नौवा प्रतिवेदन।
13. आबकारी, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, ग्रामीण विकास(रोजगार गारण्टी योजना) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, युवा मामले एवं खेल तथा वित्त विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का दसवा प्रतिवेदन।
14. शिक्षा, सम्पदा, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, पर्यावरण, जनजाति क्षेत्रीय विकास, वन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, सामान्य प्रशासन, संस्कृत शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, जल संसाधन, डेयरी, विधि एवं न्याय, सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 11 वां प्रतिवेदन।
15. उपनिवेशन, कृषि विपणन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खान एवं पेट्रोलियम, ग्रामीण विकास(रो.गा.), गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, जन स्वा.अभि., तकनीकी शिक्षा, पंचायती राज. पर्यटन, पर्यावरण, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, परिवहन, भ्रष्टाचार निरोधक, मंत्रीमण्डल सचिवालय, युवा मामले एवं खेल, राजस्व, वक्फ, वन, वित्त, सैनिक कल्याण, सम्पदा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, भू-जल विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 12 वां प्रतिवेदन।
16. खादी एवं ग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, जल संसाधन, नागरिक उड्डयन, तकनीकी शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण, विधि एवं विधिक कार्य, जनजाति क्षेत्रीय विकास, आबकारी, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 13 वां प्रतिवेदन।
17. पशुपालन, डेयरी, परिवहन, संस्कृत शिक्षा, आयोजना, वन, युवा मामले एवं खेल, श्रम एवं रोजगार, अल्पसंख्यक मामलात, पर्यटन, वित्त, उपनिवेशन, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 14 वां प्रतिवेदन।
18. राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, आयोजना, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, कृषि, आबकारी, परिवहन, आयुर्वेद, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ग्रामीण विकास(रोजगार गारण्टी योजना), सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा शिक्षा, जन अभियोग निराकरण, सिंचित क्षेत्रीय विकास, कृषि विपणन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सहकारिता, पंचायती राज, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 15 वां प्रतिवेदन।
19. भू-संरक्षण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, पशुपालन, उपनिवेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, पर्यटन, देवस्थान, अल्पसंख्यक मामलात, सैनिक कल्याण, वित्त तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 16 वां प्रतिवेदन।

20. जनजाति क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, देवस्थान, पंचायतीराज, पर्यावरण, पशुपालन, भू-जल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भाषा, राजकीय उपक्रम, राज.स्टेट मोटर गैराज, वन, श्रम एवं रोजगार, सूचना एवं जन सम्पर्क, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आबकारी, आयोजना, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 17 वां प्रतिवेदन।
21. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, आयोजना, उद्योग, कृषि, कार्मिक, खनिज, ग्रामीण विकास, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पंचायती राज, परिवहन, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, देवस्थान, वन, वित्त, सहकारिता सैनिक कल्याण, संस्कृत शिक्षा, श्रम एवं रोजगार, जल संसाधन विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2015-16 का 18 वां प्रतिवेदन।
- (III) श्री रामलाल गुर्जर, सभापति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2015-2016 ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य में पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं भर्तीयों में आरक्षण की पालना करने तथा बी.पी.एल. परिवारों को समय पर विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति वर्ष 2011-2012 के द्वितीय प्रतिवेदन (तेरहवीं राजस्थान विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का परिपालनात्मक द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

## 6. विधायी कार्य

### (क) वापिस लिया जाने वाला विधेयक

#### प्रवर समिति को निर्दिष्ट राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015

- (I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रवर समिति को निर्दिष्ट निम्नांकित विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान विरासत संरक्षण  
विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-18)

"राजस्थान राज्य में विरासत आस्तियों की पहचान, प्रलेखीकरण, संरक्षण और विनियमन के लिए तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को वापिस भी लेंगे।

### (ख) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

#### (I) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

- (I) श्री अजय सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी  
(संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-28)

"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(II) राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-29)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(III) राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-30)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(IV) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015**

- (I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015  
(2015 का विधेयक संख्या-31)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 17 सितम्बर, 2015

पृथ्वी राज  
विशिष्ट सचिव